Q-10
25.7.13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2013.

Manisha Kumari……………………………………Petitioner.

Vrs.

The State of Bihar & others……………………….Respondents.

Sub: - Panchayat Raj Act

INDEX

Sl. No.	Particulars.	Pages.
1.	Petition with affidavit.	1 to 13
2.	Annexure-1. Photo/type copy order dt. 15.5.13.	14
3.	Annexure-2. Photo/type copy of report dt. 17.10.11.	15–16
4.	Annexure-3. Photo copy of report dt. 18.1.12.	17–24
5.	Annexure-4. Photo copy of report 19.1.12.	25–27
6.	Annexure-5. Photo/type copy of order 22.11.12.	28–39
7.	Annexure-6. Photo copy of representation 12.12.12.	40
8.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2013.

Manisha Kumari..Petitioner.

Vrs.

The State of Bihar & others..........................Respondents.

SYNOPSIS

That this writ application is directed against the order dated 15.5.13 passed by Deputy Secretary, Urban Development Department Government of Bihar Communicated to the petitioner Vide Letter dt. 20.6.13 under Right to Information Act. Whereby and where under the respondent held that the proceeding for declare as incompetent against the Chief Counsellor Vijay Kumar Vimal and the Deputy Chief Counsellor Mamta Kumari has been dropped as per section 25 (5) Bihar Municipality Act. 2007 since their tenure have lapsed, mechanically and capricious madiner without appreciating the fact that the Chief Counsellor Vijay Kumar Vimal is still holding his post specially when the election commission found serious illegality against the Chief Counsellor namely Vijay

Kumar Vimal and recommended to the State Government for his removal from the post as per law.

Date of Events.

17.10.11.
Ann.2:- Enquiry Report enquired by respondent no. 4 to the election commission.

19.1.12.
Ann.4:- Respondent no. 4 sent also a report with regard to appointment of Md. Sabir Alam.

18.2.12.
Ann.3:- Rep[ort Communicated through Addl. Collector Madhepura to the election commission.

22.11.12.
Ann.5:- The Election Commission has passed Order passed after hearing the parties.

12.12.12.
Ann.6:- Representation.

15.5.13.
Ann.1:- Order passed by Deputy Secretary Urban Development Department Govt. of Bihar, Patna.

Hence this writ application.

******

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2013.

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of:

Manisha Kumari, wife of Sri Manoj Kumar Yadav, resident of Azad Nagar, Madhepura, P.S. and District Madhepura.

....................Petitioner.

Vrs.

1. The State of Bihar through Principal Secretary Department Urban Development.

2. The Secretary Urban Development Department Government of Bihar, Patna.

3. The Deputy Secretary, Urban Development Department Government of Bihar, Patna.

4. The Election Commissioner, The State Election Commission, Bihar, Patna.

5. The Commissioner Koshi Division.

6. The District Magistrate cum District returning Office Municipal Election Madhepura.

7. Bijay Kumar Bimal son of Sri Pulkit Pd. Yadav, resident of Ward No. 18, P.O. P.S. and Distt. Madhepura, Chief Counciler Nagar Parisad, Madhepura.

8. Mamta Kumari wife of Sri Jai Narayan Pandit Ward No. 26, P.O. P.S. and Distt. Madhepura.

. ...Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this writ application is directed against the order dated 15.5.13 passed by Deputy Secretary, Urban Development Department Government of Bihar Communicated to the petitioner Vide Letter dt. 20.6.13 under Right to Information Act. Whereby and where under the respondent held that the proceeding for declare as incompetent against the Chief Counsellor Vijay Kumar Vimal and the Deputy Chief Counsellor Mamta Kumari has been dropped as per section 25 (5) Bihar Municipality Act. 2007 since their tenure have lapsed, mechanically and capricious madiner without appreciating the fact that the Chief Counsellor Vijay Kumar Vimal is still holding his post specially when the election commission found serious illegality against the Chief Counsellor namely Vijay Kumar Vimal and recommended to the State Government for his removal from the post as per law.

4. The petitioner filed a complain to the respondent election commission making serious allegations against the respondent no. 5-6 and others of misused of their official power. The complain of the petitioner was duly enquired into by the respondent returning officer who found allegations to be true considering the complain and enquiry report, the commission found that the allegations are true and penal sections are recommended including lodging the first information report. The Commission has also recommended section u/s 25 (5) of the Act. Vide its order dated 22.11.12. The said order was duly communicated to the respondents vide communication dated 12.12.12, but no action has yet been taken so far, in order to obtain information the petitioner exercise her right under R.T.I. Act. About the follow up actions at taken on the respondent no. 5. The petitioner also came to know that the respondent no. 5 and 6 moved before this Hon'ble Court in C.W.J.C.No. 22845/12 which was permitted to withdrawn vide order dated 13.12.12 even though the recommendation of the respondent election commission reached its finality, the state respondent 1 and 3 are sitting over the matter where as the respondent no. 5 is enjoying the post of Chief Commissioner of the Nagar Panchayat.

The photo copy of order dt. 15.5.13 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

2. That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble Court for the following reliefs:-

i. The quash the order dt. 15.5.13 passed by the Deputy Secretary Urban Development Department Govt. of Bihar, Patna.

ii. The respondent no. 1 be directed to act on the recommendation of the commission passed in case no. 109/11.

iii. The respondent be commended to remove the respondent no. 5 from the post of Chief councilor of Madhepura Nagar Parishad.

iv. The respondent no. 3 and 4 be commanded to stop the functi8oning of the respondent no. 5 on the post of Chief councilor and steps be taken for filing up the resultant vacancy.

v. The respondent no. 4 be commanded to lodged the F.I.R. against respondent no. 5 as per the direction of election commission.

vi. The petitioner be extends any other relief/reliefs for which the petitioner is entitled.

3. That the point of law involve in the writ application falls in a narrow compass as to whether in action on the part of the respondent no. 2 gives up provision to enjoy the post for which he is not entitled to continue and whether a recommendation based on various report and after affording reasonable opportunity to the parties can be allowed to be a decay, which is reserved order and whether the respondents are trying the shiled the respondent no. 5 and whether there is any jusjtification in not giving effect to the recommendation and pass an order under section 25 (5) of the Act. And whether a erson found guilty of criminal conspiracy and guilty of misconduct in discharge of his duties can be allowed to hold the office of Chief Ward councilor and whether is any justifi9cation of in action on the part of the respondents 1 to 4.

4. That the petitioner is citizen of India.

5. That, in the year 2007 the election was held of Madhepura Nagar Parishad. The petitioner and respondent no. 5 and 6 also elected on the post of ward Councilor of Ward No. 24 and 9 respectively.

6. That, it is relevant to State here that the respondent no. 5 was hold on the post of Chief Ward Councilor Madhepura Nagar Parishad.

7. That, the petitioner raised her complain before the State Election Commission against the respondent no. 5 and 6 and others alleging there in that they have misused their power and chair for either personal gain or their favourites on 19.9.11.

8. That on complain dt. 19.9.11 the election commission enquired into the matter through the district Magistrate cum returning Officer, Madhepura and requested him to appear either personally or send any competent person in hearing of the matter.

9. That, the respondent no. 4 enquired the matter and sent it to the Election Commission vide letter dt. 17.10.11.

Photo copy of report dt. 17.10.11 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

10. That the petitioner again made her complain against the respondent no. 5 and 6 on 17.10.11 with regard to preparation of D.P.R. and list of beneficiaries of I.H.S.D.P. programme whereupon the respondent election commission has also requested the District Magistrate cum returning officer, Madhepura for proper enquiry.

11. That the respondent no. 4 get it enquired the matter through Additional Collector (Disaster Management), Madhepura on 18.1.12 and communicated the same to the election commission.

Photo copy of Report dt. 18.1.12 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

12. That, the respondent no. 4 has also sent a report dt. 19.1.12 with regard to appointment of one Md. Sabir Alam.

Photo copy of report dt. 19.1.12 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

13. That, after various report from the respondent no. 4 and after hearing the parties, the election commission has passed order dt. 22.11.12 wherein it has been recommended that Prapatra 'K' be prepare against the respondent no. 5 and 6 along with others.

Photo copy of order dt. 22.11.12 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

14. That, it is also pertinent to state here that the petitioner has also made complain before the Economic Offence Unit, Bihar, Patna which is enquired by the competent authority who recommended action against the respondent no. 5,6 and others vide recommendation dt. 11.5.12. The petitioner got the same through R.T.I. The petitioner shall craves to produce.

15. That in spite of no required of the commendation aforesaid and the order dt. 22.11.12, the respondent have sitting over the matter.

16. That the respondent no. 5,6 are so influenced person, these are shield by their political Akas after aforesaid malpractices.

17. That, the petitioner along with others represented the matter before the competent authority for follow up action against the respondent no. 5,6 and others as per recommendation of the election commission dt. 22.11.12 and enquiry report dt. 11.5.12 of the Economic offence unit of the State of Bihar Vide her representation dt. 12.12.12, but in vain.

Photo copy of representation dt. 12.12.12 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this petition.

18. That the inaction on the part of respondents give premium to the respondent no. 5,6 to enjoy the post for which they are not entitled.

19. That, the reasoned order/recommendation can't be allowed to be a decay.

20. That the respondents are trying to shield the respondent no. 5 and 6.

21. That there is no justification in not giving the effect to the recommendation under section 25 (5) of the Act.

22. That, a person found guilty of criminal conspiracy and guilty of misconduct in discharge of duties can not be allowed to hold the post of Chief ward councilor.

23. That, the petitioner has not go other alternative efficacious remedy than to move this Hon'ble Court.

24. That, the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the present matter.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issue rule NISI calling upon the respondents as to why the

relief prayed in paragraph no. 2 be not granted to the petitioner.

AND/OR

After hearing the party/parties above this writ petition.

AND/OR

Pass such other order or order as your lordships may deem fit and proper.

And for these the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Manisha Kumari, aged about 38 years, wife of Sri Manoj Kumar Yadav, resident of Azad Nagar, Madhepura, P.S. and District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over to me which I have fully understood the same and they are true to my knowledge.

3. That the statement made in Para nos. 5 to 7, 15 to 24 true to my knowledge and the statement made in Para nos. 8 to 14 are true to my information derived from the record and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

4. That Annexures are photo/type copy of their respective originals.

Annexure-1

(14)

प्रस्तुत संचिका में मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–25 (5) के अंतर्गत अयोग्य घोषित करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या 109/11 में दिनांक 22.11.2012 को पारित आदेश में कार्यरत नगरपालिका की अवधि जून, 2012 में समाप्त हो गई है। समान मामले में विधि विभाग की राय, जो नगर पंचायत, फतुहा से संबंधित है, में अंकित है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–25 (5) के तहत पदधारिता की समय सीमा समाप्ति (नगरपालिका की कार्यावधि) पश्चात् पूर्व में अध्यारोपित आरोप एवं कार्रवाई निष्प्रभावी (Infructuous) मानी जाय।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं तत्कालीन उपमुख्य पार्षद के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–25 (5) के अंतर्गत कार्रवाई करना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

15/5/13

(डा0 राजीव कुमार)
उप सचिव

सचिव

15/5/2013
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)

मंत्री

20/5/13
(डॉ0 प्रेम कुमार)

27/5/2013
25/5/13

1074/DS(E)
16-5-13

मंत्री
नगर विकास एवं आवास विभाग
पंजीकृत क्रम संख्या 1155 / 1150
प्राप्ति की तिथि 16/5/13
आपकी की तिथि 16/5/13

27/5/13

Annexure- 1

(13)

समाहरणालय, मधेपुरा।

(नगर परिषद, मधेपुरा।)

पत्रांक 494...../
6477

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

बिहार, पटना।

मधेपुरा, तिथि 17 अक्टूबर 2011

विषय :- राज्य निर्वाचन आयोग का वाद संख्या- 109/2011 मनीषा कुमारी बनाम विजय कुमार, श्रीमति ममता कुमारी, श्रीमति बीबी सकीना व श्रीमति केन्दुला देवी के संदर्भ में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक- 9070, दिनांक- 03.10.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि श्रीमति मनीषा कुमारी के परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक- 11.11.2008 को की गइ थी। जिसमें श्रीमति बीबी सकीना के पुत्र श्री मो0 सादीर आलम की नियुक्ति की गई है। (छायाप्रति संलग्न)

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की सामान्य बैठक दिनांक- 31.07.2007 की कंडिका 07-XII (अन्यान्य) में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। (दैनिक जागरण में दिनांक- 09.08.2008 एवं आज में 10.08.2008) । सभी आवेदन पत्रों की जॉच की गई। जॉच प्रतिवेदन इस प्रकार है -

01.चयन हेतु किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया। सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी अभ्यर्थी का प्राप्तांक अंकित नहीं किया गया ।

02. चयन हेतु कुल 33 (तैंतीस) आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिसकी स्कूटिनी नहीं की गई, जिससे स्पष्ट हो सके कि ये कब-कब प्राप्त हुए । कार्यपालक पदाधिकारी के पदनाम से प्राप्त सभी आवेदन पत्र पदाधिकारी अथवा लिपिक द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में इतने आवेदन ही प्राप्त हुए ।

03. विज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदन प्राप्ति हेतु मात्र 3-4 दिन का अल्प समय रखा गया । इसके अतिरिक्त विज्ञापन में अथवा कार्यालय प्रति में यह अंकित नहीं था कि संविदा मात्र मधेपुरा जिले के लिए है । परन्तु सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मधेपुरा जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायगी ।

04. चयन प्रकिया में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपर्यक्त तथ्यों को नजरअंदाज किया गया एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया।

05. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चयन प्रकिया को पूरी तरह से पारदर्शी नही रखा गया । अन्ततः उक्त समिति द्वारा मो0 सादीर आलम का चयन किया गया है जिसकी कोई वजह स्पष्ट और पारदर्शी रूप से अंकित नहीं है। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है।

जहाँ तक मुख्य पार्षद/वार्ड पार्षद के द्वारा शक्ति के दुरूपयोग का मामला है, उपर्युक्त विवरणी से स्वतः स्पष्ट है कि पारदर्शिता पूरी तरह से नहीं बरती गई है। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-18(1)(ठ) में वर्णित है कि **यदि वह अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार करता हो या जानबुझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता हो** , को धारा 53 के के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि - किसी पार्षद का नगरपालिका के अधीन नियोजन सहित या रहित किसी संविदा या प्रस्तावित संविदा में अथवा इससे संबद्ध अन्य मामलों में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित हो तथा वह नगरपलिका या इसकी किसी समिति की संविदा बैठक में उपस्थित हो , जिसमें ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामला विचार का विषय हो, तो ऐसी बैठक आरम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामलें से संबंद्व तथ्य को अजागर करेगा और ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामलें से संबद्व किसी प्रश्न पर विचार विमर्श में या इस पर मतदान में भाग नहीं लेगा ।

यह उल्लेखनीय है कि चयनित अभ्यर्थी मो0 सादिर आलम वार्ड पार्षद सं0 05 बीबी सकीना के पुत्र हैं । साथ इस संदर्भ में वार्ड सदस्य सं0- 05 को चाहिए था कि बैठक में इस तथ्य को उजागर करे। परन्तु ऐसा नही किया गया । स्पष्ट है कि चयन में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई ।

अतएव उपर्युक्त वाद में सुनवाई के लिए आवश्यक प्रतिवेदन एवं अभिलेख के साथ उपस्थित होने हेतु मो0 युनुस, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

संलग्नक :- यथावर्णित ।

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 894/नगर परिषद, मधेपुरा, दिनांक 17/10/11/

प्रतिलिपिः- मो0 युनुस, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

Annexure - 2

समाहरणालय मधेपुरा।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक 09-2 /

544 15

प्रेषक,

अजय कुमार
अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा दिनांक 18.2.12

विषय- आई0एच0एस0 डी0पी0 योजनान्तर्गत 319 गरीब व्यक्तियों के लिए मकान में हो रही धांधली अधियमितता तथा लूट खसोट के कारण जॉच कर रोक लगाने एवं दोषी व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक- 345/सपत्र,दिनांक-16.08.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-345/सपत्र,/दिनांक-16.08.2011के आलोक में विषय से संबंधित मामले की जॉच स्थल निरीक्षण संबंधित पदाधिकारियों तथा कार्यालय कर्मीयों से पूछ ताछ कर की गई जॉच की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

जॉच का विन्दु

(01)(I) आई0एच0एस0 डी0पी0 योजनान्तर्गत वार्ड संख्या-24, वार्ड संख्या- 25 एवं वार्ड संख्या-26 में मकान निर्माण में मापदण्ड का अनुपालन नही होना

(II) बड़े एवं धनवान व्यक्तियों को आई0एच0एस0 डी0पी0 योजनान्तर्ग मकान का निर्माण करना।

(III) नगर पालिका एक्ट 2007 की धारा 48 (2)एवं (3) के अन्तर्गत पार्षदों के कम से कम 2/5 भाग यानि 26 में से 11 वार्ड पार्षदों के लिखित अध्याय पृच्छा के आलोक में दिनांक 21.01.2011 को नगर परिषद मधेपुरा का वोर्ड जबरीया आयोजित बैठक में 13 वार्ड पार्षदों ने उपरोक्त आशय का प्रस्ताव पास करने हेतु लिखित अध्यापेक्षा मुख्य वार्ड पार्षद श्री विजय कुमार एवं तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी को सौपा गया था। उक्त प्रस्ताव पर वार्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा उक्त प्रस्तावों को वार्ड पार्षद के विरोध के बावजूद बहुमत से अनुमोदन कराना।

(IV) मुख्य पार्षद श्री विजय कुमार द्वारा अपने सगे संबंधियों के लिए गरबड़ी करते हुए आई0एच0एस0 डी0पी0 योजनान्तर्गत मकान का निर्माण करना।

योजना का उद्येश्य

मधेपुरा जिलान्तर्गत स्लम वस्ती को विकसित करना ताकि शैक्षणिक वातावरण स्वास्थ्य अन्य आधार भूत संरचना से विकसित कर मुख्य धारा में लोगों का लाना।

जॉच की स्थिति- *A*

जॉच के कम में नगर परिषद कार्यालय प्रधान/मुख्य पार्षद/कार्यालय कर्मी एवं स्थल पर पहुँच कर योजना एवं लाभार्थियों से पूछताछ किया के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :-

(16)

(I) सर्व प्रथम श्री लखीन्द्र पासवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा आई0एच0एस0 डी0पी0 योजना के संदर्भ में पूछताछ किया इनके द्वारा यह बताया गया कि निविदा/लाभुक की चयन की प्रकिया किसउ प्रकार की गई इस संदर्भ में इसकी जानकारी नही होने की बात बताया। इनके द्वारा बताया गया कि मामला पूर्व का है एवं नाजीर/नगर प्रबंधक/अमीन के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

(II) श्री दीपक कुमार, सहायक, नगर परिषद मधेपुरा ने यह बताया कि आई0एच0एस0 डी0पी योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन डी0 पी0 आर0 में मे0 हिन्दुस्तान प्रिफेल लिमिटेड,भारत सरकार के उपक्रम द्वारा किया गया था तथा लाभुक की चयन इसी संस्था के द्वारा की गई थी इनके द्वारा प्रस्तु सूची को अनुमोदन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गई उस समय तत्कालीक कार्यपालक पदाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार भारती थे। योजना के कार्यन्वयन हेतु नगर परिषद को कोई राशि उपलब्ध नही कराई गई और न ही इस योजना का निविदा नगर परिषद के द्वारा निकाली गई, इस योजना का कार्यान्वयन हिन्दुस्तान प्रीफेल लिमिटेड भारत सरकार के एक उपकम के द्वारा कराया जा रहा है जिसका निर्माणकर्ता जय बजरंग इनस्ट्रेक्सन कम्पनी मधेपुरा वर्त्तमान में काम कर रही है।

(III) दिलीप कुमार सिंह सहायक कर दारोगा नगर परिषद मधेपुरा से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा दिपक कुमार सहायक, नगर परिषद द्वारा कही गई बातों का समर्थन की गई।

(IV) श्री विजय कुमार, मुख्य पार्षद, नगर परिषद ने जॉच के कम में यह बतलाए की आई0 एच0 एस0 डी0 पी0 योजनान्तर्गत मधेपुरा जिला के नगर क्षेत्र अन्तर्गत 319 व्यक्तियों के लिए मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत कोई भी कार्य नगर परिषद मधेपुरा द्वारा नही कराई जा रही है। 319 व्यक्तियों के सर्वेक्षण सूची मे0 हिन्दुस्तान प्रिफेल लिमिटेड,भारत सरकार के उपक्रम द्वारा लाभार्थियों का चयन कर डी0पी0 आर0 बनाया गया और इनके द्वारा सूची मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिस पर पार्षदों द्वारा वोर्ड की बैठक के विचार विमर्श कर बहुमत से अनुमोदन किया गया है। जिसके आधार पर Integrated Housing Slum Development Programme के दिये गए गाईड लाईन के अनुरुप भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। परिवादी धीरेन्द्र कुमार, मणीषा कुमारी, कमला कुमारी एवं अन्य के आवेदन के कम में पिछड़ी जाती को अनु0 जाति जो दर्शाया गया है वह लिपिकीय टंकन की भूल है। गाईड लाईन में ऐसा कोई निदेशित नही किया गया है कि पिछड़ी जाति को आवासन नही देना है। जहाँ तक मेरे सगे संबंधियो को आवास देने की जो बाते उठाई गई है उस संबंध में इनके द्वारा यह कहा गया कि ये सभी निर्धन हैं। भूमि भी कम है। अतः परिवादी का जो आरोप है उसमें कुछ सत्यता हो सकती है जिसकी सुधार कराई जा सकती है।

जॉच का स्थितिः-*B*

आई0एच0एस0 डी0पी0 योजनान्तर्गत अब गरीब व्यक्तियों के लिए मकान निर्माण जो किए जा रहे है वह वार्ड वार निम्न प्रकार है :-

वार्ड नं0-24 अन्तर्गत कुल 131 घर निर्माण किये जा रहे है जो मधेपुरा नगर परिषद के भिरखी मुहल्ला के अन्तर्गत है निर्माण कराये जा रहे क्षेत्र अन्तर्गत जलाआपूर्ति SEWASE ड्रेनेज इसके लिए कोई Provisin नही किया गया है। विधुतीकरण की Provision gS Solide waste disposal नगर पंचायत अन्तर्गत रोड की स्थिति कच्चा Sussetion for inprovment के लिए शोचालय, स्वास्थ्य केन्द जॉच के कम में नही पाया गया।

(II) जॉच के कम में सीरियल नगर 04 मरियम खातुन पति मो0 बईउद्दीन की संदर्भ में जो आपत्ति उठाई गई वो सही पाया गया।इनके पति बुचर के काम से अच्छी कमाई करते थे उसी तरह सीरियल 64 पर बिबी सकीना पति मो0 सुलेमान के संदर्भ में मजदूर आमदनी 1500 रू0 तथा ईट पक्के का

(17)

मकान की बात कही गई है यह बात जॉच के कम में सत्य पाया गया परन्तु जॉच के कम में यह पाया गया कि मो0 सुलेमान द्वारा दो शादी की गई जिसके पहले पत्नी के पुत्र मो0 सत्तरार पव मकान में रहते है जबकि दूसरी बिबी सकीना का घर छत का नही है।

सीरियल 65 पर सकीना खातुन पति मो0 फिरोज को ईट का मकान दर्शाया गया है तः मो0 सुलेमान एवं मो0 फिरोज दोनो भाई। जॉच के कम में उनकी मकान को तोड़ा हुआ पाया तः बर्त्तमान में समतल भाग है। थोड़ी सी मिट्टी उठी हुई पाई गई। अतः आपप्ति दावा सत्य नही पाए सीरियल नं-07 पर उगो देवी पति विष्णदेव यादव को अनु0 जाति मजदूर आदि दिखाकर मकान दि गया है जबकि विष्णदेव यादव को ईट का पक्का मकान है।

जॉच के कम में उपरोक्त बाते सत्य पाई गई परन्तु विष्णदेव यादव द्वारा यह बताया गया कि इनका घर फूस का है तथा इनके पास एक ट्रेक्टर है जो बैंक ऋण से ली गई है, अब ये विचारणी बात है कि यदि उगो देवी के पति विष्णुदेव यादव को चल या अचल सम्पति नही होती तो इस स्थि में बैंक के द्वारा ट्रेक्टर लोन नही मिल सकता अतः यहाँ लाभुक चयन मे अनियमितता का द्योतक सत प्रतीत होता है।

सिरियल नं0 08 ललीता देवी पति अशोक यादव को मजदूर अशिक्षित एवं कच्चा मका दिखाया गया है, जबकि श्री यादव को ईट का मकान आपति में दर्शाये गऐ ट्रेक्टर मिनी बस खेती योग जमीन आदि होने की बाते कही गई।जॉच के काम मुख्य पार्षद द्वारा यह अवगत कराया गया कि पति श्री अशोक यादव को जो ईट का मकान दिखाया गया है उसमें उसके माता पिता रहते है तथा गाड़ आदि उनके माँ के नाम से होने की बात बताई गई तथा ललीता देवी अनु0 जाति की महिला है जिसे अशोक यादव के द्वारा अंर्जातिय विवाह किया गया है।

अतः तुलनात्मक कम में जॉच के स्पष्ट पाया गया कि लाभुक की चयन एवं आवास आवंट में अनियमितता पाई गई।

<u>सिरियल नं0 35</u> पर अंकित मंजू देवी पति उमेश प्रसाद यादव को अनु0 जाति कच्चा मका दर्शाकर योजना से लाभान्वित किया गया है जबकि इनके पास ट्रेक्टर, ट्रक एवं पॉच वीधा जमीन उहोने का आरोप लगाया गया है । जॉच के कम में पार्षद द्वारा यह बताया गया कि ये उनके मेरे सौतेले भाई है तथा 30 वर्षो से अलग रहते है ट्रेक्टर ट्रक नही है इनके जमीन बलूआई है जो कोशी नदी के किनारे है और वर्ष में एक फसल एवं धासफुस उगता है।

जॉच के कम में मैंने पाया कि आरोपी का कहना सही है इनकी दो मंजिला मकान पूर्व से है ऐसी स्थिति में इन्हें आवास योजना का लाभ नही दिया जाना चाहिए था ।

<u>सिरियल नं0 36</u> पर भवन तांती/रूबी देवी पति श्री जर्नादन तांती को अनुसूचित जाति एवं कच्चा मकान एवं मजदूर दर्शाकर इन्हें इस योजना से लाभान्वित किया गया है तथा शिक्षित एवं भारतीय सेना में सरकारी नौकरी करने की बात भी कही गई है, जॉच के कम में लोगो ने स्पष्ट तौर पर इनके बारे में कुछ भी नही कहा चूँकी श्रीमति केन्दुला देवी के कुछ लोग के आ जाने के कारण कुछ नही बोल सके इस संदर्भ में कुछ व्यक्तियों से पूछतातछ करने पर लोगो ने बताए कि रूबी देवी के पति पवन तांती है पवन तांती के पिता श्री जर्नादन तांती सेना मे थे परन्तु बहुत पहले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं वर्त्तमान में पवन तांती एवं रूबी देवी कोई नौकरी नही करते है तथा बी0 पी0 एल0 श्रेणी के है इस स्थिति में ऐसा प्रतित होता है कि लाभाथी के चयन में अनियमितता नही लगता है।

<u>सिरियल नं0-57</u> केन्दुला देवी पति नारायण तांती को अनु0 जाति मजदूर कच्चा मका दर्शाकर आवास योजना का लाभ दिया गया है जॉच के कम में यह पाया गया कि नारायण तांती

बड़े भाई जर्नादन तांती फोज में थे और बहुत पहले अवकाश प्राप्त कर गए है वर्त्तमान में इनका खपरा का मकान है और बी0 पी0 एल0 श्रेणी में है।

सिरियल नं0- 63 किशुनी देवी पति श्री कमल रजक को मजदूर अशिक्षित कच्चा मक दर्शाकर योजना से लाभान्वित किया गया है इनका मकान खपडैल का है।

सिरियल नं0-70 बादामी देवी पति श्री दानी यादव को अनु0 जाति अशिक्षित एवं कच्च मकान दर्शाकर योजना से लाभन्वित किया गया है जॉच के कम में दानी यादव का पक्का मकान है ए पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति है।

सिरियल नं0-77 विनोद कुमार/ममता देवी को मजदूर अशिक्षित एवं कच्चा मकान दर्शार गया है जबकि श्री गोपाल रजक का ईट खपरेल का मकान है विनोद कुमार अपने पिता से अल रहकर गुजर बसर करते है तथा बी0 पी0 एल0 श्रेणी के है।

सिरियल नं0-78 बबीता देवी पति श्री विलास रजक को अशिक्षित एवं कच्चा मकान दिखार गया है जॉच के कम कं लोगो ने मकान के और ईजित कर यह बताया कि विलास रजक का ट पक्का का मकान है वे सेवानिवृति अंचल निरीक्षक भी है परन्तु मुख्य पार्षद द्वारा यह बताया गया वि बबीता देवी पति बिल्ला रजक स्व0 दुखा रजक का पोलियों ग्रस्त बेटा है जो पिता के द्वारा परित्यागत पुत्र है रिक्शा चालक एवं मजदुर के रूप में कार्य कर पेट भरते है धरेलू नाम बिल्ला रजक है सर्ह नाम पवन रजक है जबकि जॉच के कम में लोगो ने विलास रजक का धर चिन्हित किया। अतः लाभुव चयन में अनियमितता को द्योतक है।

वार्ड नं0- 26

(01) सिरियल नं0- 77 सीता देवी पति विनोद यादव को अनु0 जाति अशिक्षित कच्चा मकान दर्शाक इस योजना से लाभान्वित किया गया जॉच के कम में लोगो ने ये बताया कि ये शिक्षित व्यक्ति ह 08-10 बीधे जमीन भी है तथा ई खपरेल का मकान भी है अतः इन्हें इस योजना से लाभन्वित नर्ह किया जाना चाहिए था।

(02) सिरियल नं0-10 अनीता देवी पति गोपाल ठाकुर को अनु0 जाति अशिक्षित एवं कच्चा मका दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है जबकि इनका ईट खपरेल का मकान है तथा इनके पर्ि नौकरी में नही है।

(03) सिरियल नं0- 55 मीना देवी पति रामचन्द्र मल्लिक अशिक्षित एवं कच्चा मकान दर्शाकर इ योजना से लाभान्वित किया गया है जॉच के कम में बी0 पी0 एल0 श्रेणी मे निर्धन है एवं सरकार सेवा में नही है होने की बात बताई गई है।

(04) सिरियल नं0- 56 तीरो देवी पति श्री जय नारायण यादव को अनु0 जाति अशिक्षित एवं कच्च मकान दर्शाकर लाभ दिया गया है जबि श्री जय नारायण यादव का ईट खपरेल का मकान है पिछड़ जाति के शिक्षित व्यक्ति है इन्हें करीब 10 बीधा जमीन का जोत जमीन है इस बात की पुष्टि केवाल संख्या 143 दिनांक 05.01.1982 केवाला संख्या 2106 दिनांक 06.03.1997 केवाला संख्या 164 दिनांक 21.01.1985 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि ये एक धनी व्यक्ति हैं।

(05) सिरियल नं0- 57 हीरा देवी पति श्री किशोर यादव को अनु0 जाति अशिक्षित एवं कच्चा मका दर्शाकर इस योजना का लाभ दिया गया है जबकि ये पिछड़ी जाति के 10 बीध के जोतदार भी है इन उपर के कंडिका में अंकित केवाला से इनक द्वारा भी भूमि का कय किया गया है अतः इन्हें भी इ योजना से लाभान्वित नही किया जाना चाहिए था।

(06) सिरियल नं0-58 प्रभा देवी पति देवनारायण यादव को अनु0 जाति अशिक्षित एवं कच्चा मका दर्शाकर योजना का लाभ दिया गया है जबकि जॉच के कम मे इनका ईट खपरेल का मकान पाया ग

(17)

ये पिछड़ी जाति के शिक्षित एवं 10 बीघा जमीन के जोतदान भी है उपरोक्त कंडिका में अंकित केवाल से इनके द्वारा भी भूमि का कय किया गया है। अतः लाभुक के चयन में अनियमितता बरती गई है।

(07) सिरियल नं0-57 किशोर यादव जो सिरियल नं0 56 के जय नारायण यादव सिरियल नं0-58 व देवनारायण यादव पे0 मांगेन यादव के सगे भाई है इनलोगो के नाम उपरोक्त की कंडिकाओं में केवाल द्वारा अर्जित भूमि का कय भी हो जॉच के कम में लोगो ने यह भी बताया कि मधेपुरा जिला व मदनपुर पंचायत में इनका धर है ऐसी स्थिति में इनलोगों को इस योजना से लाभान्वित नही किए जाना चाहिए था यह न्याय संगत नही है।

(08) सिरियल नं0-59 राधा देवी पति केलाश यादव अशिक्षित कच्चा मकान मजदूर दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है जो जॉच के क्रम में पाया कि पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति है तथा खेती योग्य जमीन है। जबकि जिला पार्षद द्वारा इन्हें मजदूरी कर जीवन यापन करने की बात बताई गई जो जॉच के कम में सत्य नही पाया गया।

(09) सिरियल नं0- 62 सुलेना देवी पति मनोज कुमार को अनु0 जाति अशिक्षित कच्चा मकान दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया ये पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति है मनोज कुमार के पिता स्व0 यदुनंदन यादव सेवा निवृत ग्राम सेवक के पद पर थे लोगो ने अच्छी खेतिहार होने की बात कहा।

(10) सिरियल नं0 78 विना देवी पति सरोज कुमार अशिक्षित कच्चा मकान दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित करायो गया है यहॉ उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार एवं सरोज कुमार दोनो सगे भाई और ये भी सेवा निवृत स्व0 यदुनंदन यादव ग्राम सेवक के पुत्र है इन्हें भी अच्छी खेती योग्य भूमि है।

(11) सिरियल नं0-81 चन्द्रकला देवी पति सूर्यनारायण यादव को मजदूर अशिक्षित एवं कच्चा मकान दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है जॉच के कम में पाया गया कि इनका बेटा सेनार्न सरकारी नौकरी में है तथा पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति है ओर खेती योग्य पयाप्त भूमि है ऐसी परिस्थिति में इन्हें इस योजना से लाभान्वित नही किया जाना चाहिए था।

(12) सिरियल नं0-84 पर मीना देवी पति श्री भूपेन्द्र यादव को मजदूर अशिक्षित कच्चा भवन दर्शाकर इस योजना से लाभन्वित किया गया जॉच के कम में पाया गया कि ये पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति है और खेती योग्य भुमि के अच्छे किसान है।

नोट- उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में वार्ड संख्या 26 के कमांक 7,59,62,71,78,81 एवं 84 के लाभार्थी एक ही परिवार के सगे संबंधी है।

(13) सिरियल नं0- 93 दारोमनी देवी पति अर्जुन यादव को अशिक्षित कच्चा मकान दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है जॉच की बात बताया है जॉच के समय इनका पक्के का मकान एवं शिक्षित होने की पुष्टि की गई है।

सिरियल नं0-94 संतोष कुमार / मंजू देवी पति श्री बालमुकुन्द यादव को अशिक्षित कच्चा मकान तथा मजदूर दिखाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है जबकि श्री बालमुकुन्द यादव का पक्का का मकान है क्रमांक 93 में अंकित लाभान्वित के पति अर्जुन यादव से सगे पुत्र एवं पता हेतु सिरियल नं099 एवं 100 पर भुलर देवी एवं फुलो देवी दोनो श्री रामधीन पंडित की पत्नी है को अशिक्षित एवं कच्चा मकान दिखाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है इस संदर्भ में मुख्य पार्षद द्वारा यह बताया गया कि सिरियल नं0 99 एवं 100 पर अंकित फुलर देवी एवं फुलो देवी दोनो रामधीन पंडित की पत्नी है रामधीन पंडित की मृत्यु 2007 के पूर्व हो चुकी है दोनो पत्नी विधवा होने के पश्चात अलग-अलग रहती है इसलिए दोनो के नाम से अलग-अलग आवास दी गई है।

(40)

सिरियल नं0- 101 पर मंजू देवी एवं छोटेलाल पंडित अशिक्षित कच्चा मकान ~~मजदूर~~ दर्शा इस योजना से लाभन्वित कराया गया है। जाँच के क्रम में पाया गया कि इनका ईंट का खपरैल मकान है। ये अन्य पिछड़ी जाति के शिक्षित व्यक्ति हैं और एक बीघा से कम जमीन है।

सिरियल नंबर-102 त्रिफूल देवी,पति-श्री बाबूजी पंडित की मजदूर अशिक्षित एवं कच्च मकान दर्शाकर इन्हें इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जाँच के क्रम में यह पाया गया इनका ईट खपरैल का मकान है तथा एक बीघे से कम खेती योग्य भूमि है। यहाँ यह भी उल्लिखत कि क्रमांक-99,101 एवं 102 के लाभूक एक ही परिवार के सदस्य हैं।

सिरियल नंबर-105 नुतन देवी,पति-बेचन पंडित को मजदूर अशिक्षित एवं कच्चा मक दर्शाकर इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जाँच के क्रम में ईट खपरैल का मकान पाया गया एक बीघे से कम भूमि के किसान हैं।

जाँच का निष्कर्ष

1. इस प्रकार पार्षद से किए गए पूछताछ,स्थल जाँच,पदाधिकारी से की गई पुछताछ तथा साक्ष्य क्रम में जाँच पदाधिकारी के रूप में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आई0एच0एस0ई योजना का मुख्य उददेश्य गन्दे,मलीन (Slum) क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बेसि आधारभूत संरचना की सुविधा देकर ऐसे क्षेत्र के रहने वाले लोगों व आवास,शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली,पानी एवं एप्रोच कलस्टर में देकर अच्छे वातावरण का निर्माण करा ताकि आधुनिक ढ़ंग से उपरोक्त सुविधा का लाभ देकर उनके जीवन का सर्वांगिक विकास करा है। स्लम एरिया के परिभाषा में निम्न बातें आती हैः-

''कम से से 20 ऐसे बदहाल ढ़ंग से बने मुख्य रूप से अस्थायी मकानों व घना अस्वच्छता पूर्ण क्षेत्र जहाँ अधोसंरचना का अपर्याप्त विकास हो और पेयजल,शौचालय तथा गन पानी की निकासी की व्यवस्था न हो।''

(क) मलीन बस्ती के घर के मानदण्ड निम्न हैः-

(i) घर की छत कंक्रीट के बजाय किसी अन्य सामग्री से बनी हो। कंक्रीट में आर0बी0सी0 औ आर0सी0सी0 सम्मिलित हैं।

(ii) अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण आसपास का वातावरण अवस्वच्छता पूर्ण हो जैसेः

- घर के अन्दर पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं हो।
- घर के अन्दर अथवा उचित दूरी पर शौचालय की व्यवस्था न हो।
- घर के गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न हो।

(ख) गन्दी बस्ती की अन्य विशेषताएँः-

- घरों का बहुत ज्यादा घनत्व एवं ज्यादातर छोटे-छोटे घर/प्लाट,घरों में कई-कई लोग,एक-एव कमरे के घर,दो या उससे ज्यादा परिवारों का एक साथ रहना।
- बस्ती में अपर्याप्त अधोसंरचना की उपलब्धता-जैसे स्ट्रीट लाईट,वर्षा के पानी की निकासी,कूं का निस्तारण,सैंकरी एवं कच्ची गलियाँ और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुँच से बाह होना।

इसी भावना से प्रेरित होकर इस योजना का क्रियान्वयन जिला परिषद क्षेत्र के शहर क्षेत्र,वार्ड सं0-24,25 में की गई है। वार्ड नं0-24 के अन्तर्गत 113,वार्ड नं0-25 में 83 एवं वा नं0-26 में 105 लाभार्थियों को इस प्रकार कुल 319 लाभार्थियों को आवास निर्माण प्रारंभ करवाय गया।

2. उक्त वार्डो की स्थल जाँच से स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि 24 वार्ड के लिए लाभार्थी की जो की गई वह सही मायने में सलम क्षेत्र देखने में लगा और कुछ लाभार्थियों को छोड़कर चर लाभार्थी सही प्रतीत हुआ। परन्तु कुछ और भी निर्धन असहायक एवं मलीन क्षेत्र में रहने व्यक्ति इस योजना से वंचित रहे।

3. वार्ड सं0-25 के पुलकित नगर मुख्य पार्षद श्री विजय कुमार के पिता के नाम पर अवस्थित जाँच के क्रम में यह पाया गया कि वार्ड नं0-25 के लाभार्थियों का जो चयनित सूची है,जि आवास निर्माण कराया जा रहा है,वह मुख्य सड़क से कालीकरण पथ से जुड़ा हुआ है। ग्रा परिवेश जैसा अवश्य दिखता है। परन्तु उसे स्लम क्षेत्र नहीं माना जा सकता है। परन्तु ऐसे में इस योजना से आच्छादित किया गया है,जो इस योजना के मूल भावना से अलग है।

4. वार्ड सं0-26 में बहुत सारे धनाढ़ व्यक्तियों को भी इस योजना से आच्छादित किया गया है इस बात का द्योतक है कि सूची निर्माण में लाभार्थियों के चयन में पक्षपात पूर्ण रवैया द गया है। कई ऐसे लाभार्थी हैं,जो पिछड़ी जाति के हैं,परन्तु उन्हें अनु0जाति दर्शाया गया है। माना जा सकता है कि कुछ जगह लिपिकीय भूल हो सकती है। परन्तु कई जगह पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जाति को अनु0जाति दर्शाया गया है,जो नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत नहीं है। के क्रम में यह भी पाया गया कि कुछ सरकारी सेवानिवृत कुछ एक ही परिवार के कई सद को अलग-अलग आवास योजना से लाभान्वित कराया गया है,जैसे वार्ड सं0-26 क्रमांक-07,59,62,78,81,84,99,100,101,102,56,57 एवं 58 आदि एक ही परिवार हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं,जो एक केवला से कई तिथियों को समीलात भूमि क्रय किए हैं,जब वास्तविक लाभ लेने के लिए अलग-अलग परिवार को दर्शाया गया है,जो नैसर्गिक न्याय विपरित है।

5. आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत यदि लाभूकों के चयन का डी0पी0आर0 बनाने हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा कराया गया और जो लाभार्थ सूची नगर परिषद,मधेपुरा को उपलब्ध कराया गया की जाँच तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी महेन्द्र कुमार भारती के द्वारा छानबीन की जानी चाहिए थी,परन्तु जाँच के क्रम में पुछ ताछ दौरान उनके कार्यालय द्वारा बताया गया कि जो सूची दी गई उसी पर पार्षदों का अनुमोद लिया गया,जो जाँच के क्रम में न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। लाभार्थियों के लिए वार्ड का चयन किया गया,उसके मापदण्ड के संबंध में भी कार्यालय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है

6- निविदा के संदर्भ में नगर परिषद,मधेपुरा के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा पूछता की गई तो यह बताया गया कि इस संबंध में भारत सरकार के उपक्रम द्वारा कोई सूचना इ कार्यालय को नहीं भेजी गई और इस संबंध में कोई भी साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ऐसा कतई संभव नहीं है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास के लिए जो भी योजना चलाई जाती है उसकी सूचना प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,बिहार,पटन तथा नगर परिषद,मधेपुरा को भी दी जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में जो भ कागजात पूर्व में रही होगी उसे कार्यालय द्वारा गायब कर दी गई होगी। यह कैसे संभ है,जबकि नगर कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,मधेपुरा द्वारा उप विकास आयुक्त,मधेपुरा व उनके पत्रांक-658,दिनांक-08.08.2011 द्वारा प्रेषित पत्र में चार विन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पि की गई है,जिसमें संबंधित वार्ड आयुक्तों द्वारा अपनी-अपनी वार्डो में इस योजना से लाभान्वि करने का अनुरोध नगर परिषद के सामान्य बैठक दिनांक-31.10.2007 के द्वारा लिए ग निर्णय के आलोक में 92 व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने,2008 के प्रलंयकारी बाढ़

(521) (22)

प्रभावित शहरों के DPR निर्माण के समय जल्दीबाजी में कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिपिकीय भूल व कारण पिछड़ी जाति के सदस्यों को भी अनु0जाति में प्रिंट करना तथा मधेपुरा नगर परिषद क राशि का आवंटन प्राप्त नहीं होना आदि का उल्लेख करना इस बात का द्योतक है कि नग परिषद को इस योजना के संदर्भ में अच्छी जानकारी है। परन्तु जाँच के समय अधिकारी/कर्म द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना आदि बातें कहना संदेह का पुष्टि करता है।

अनुलग्नक की छाया प्रति संलग्न है।

कार्रवाई की आवश्यकताः-

1.मधेपुरा नगर परिषद अन्तर्गत मलीन बस्ती एवं मलीन बस्ती जैसे क्षेत्र वार्ड सं0-24,25 एवं 26 को ही मलीन बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया,इसके मापदंड का आधार क्या है?

2.इन तीनों वार्डो के अलावा अन्य कितने मलीन (Slum) बस्ती हैं,उसकी सूची नगर परिषद के कर्मी द्वारा नहीं बताया गया।

3.वार्ड सं0-25 में जो घर आवंटित किए गए हैं। वह मलीन बस्ती के की गई परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। इस बस्ती का चयन कैसे की गई,इसके लिए जिम्मेवार तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार भारती को माना जाना चाहिए तथा इन पर जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। यदि लाभार्थी के चयन में अनियमितता से संबंधित शिकायत यथा-मुख्य पार्षद के सगे संबंधी धनाढ्य तथा अन्य वार्डो के संदर्भ में आपत्ति प्राप्त हुई थी,तो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व बनता था कि सूची/अन्य वार्डो जो स्लम एरिया जैसा है के संदर्भ में स्वंय जाँच की कार्रवाई करनी चाहिए थी। परन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

4.बहुत सारे लाभार्थी जो पिछड़े,अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं को अनुसूचित जाति दर्शाकर इस योजना का लाभ दिया गया है,जो अनुसूचित जाति का हकमारी का द्योतक है। अतः यह मामला अनुसूचित जाति निवारंण अधिनियम के तहत प्रताड़ना का बनता है।

5.इस प्रकार लाभार्थियों के चयन पर अंतिम निर्णय हेतु निर्णायक मंडल अर्थात् बोर्ड की भूमिका एवं दायित्व अंतिम होता है। परन्तु लाभार्थियों पर निर्णय लेने के क्रम में बोर्ड की भूमिका संदिग्ध,पक्षपातपूर्ण तथा लाभ की भावना से निर्णय लेना प्रतीत होता है,जो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका हास्यासपद है। अतः इसके लिए बोर्ड के सदस्यों पर भी अपेक्षित कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

6.बहुत सारे ऐसे लाभार्थी का नाम चयनित किया गया,जिनका घर स्लम क्षेत्र के मापदण्ड में नहीं है तथा अच्छे पक्के के घर रहने वाले,सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी,धनाढ्य व्यक्तियों मुख्य पार्षद के सगे संबंधी को दी गई है,जिनसे मकान में लगाई गई राशि की वसूली करते हुए संबंधित पदाधिकारी/संबंधित व्यक्ति पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

7.मार्गदर्शिका में दी गई आई0एच0डी0पी0 योजनान्तर्गत 25 वर्ग मीटर अन्तर्गत दो रूम, किचेन एवं शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है। परन्तु स्थल जाँच के क्रम में 19 वर्ग फीट में निर्माण कराया गया है,जो मार्गदर्शिका के विपरीत है।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक - 66 पन्ने

विश्वासभाजन

18/1/12

अजय कुमार,

अपर समाहर्त्ता(आपदा)

मधेपुरा।

Annexure-3

546

23

समाहरणालय, मधेपुरा।

(नगर परिषद, मधेपुरा।)

4 715 - 77

प्रेषक :-

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

बिहार, पटना।

मधेपुरा, तिथि 19/01/2012

विषय :- राज्य निर्वाचन आयोग का वाद संख्या- 109/2011 मनीषा कुमारी बनाम विजय कुमार, श्रीमति ममता कुमारी, श्रीमति बीबी सकीना व श्रीमति केन्दुला देवी के संदर्भ में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक- 9663, दिनांक- 24.11.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में समीक्षोपरान्त स्थिति इस प्रकार पाई गई:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए दिनांक- 09.08.2008 को दैनिक जागरण में एवं दिनांक- 10.08.2008 को आज में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
2. इस पद के लिए योग्यता इन्टर तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित निर्धारित किया गया।
3. दिनांक- 11.11.2008 को सशक्त स्थाई समिति की बैठक की कार्रवाही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस पद हेतु कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ योग्यताधारी स्नातक भी थे। इन्टर प्रथम श्रेणी प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है, जिसका अनुभव पूर्व में कार्य करने का है।

आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	इन्टर प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	कम्प्यूटर योग्यता	टाईपिंग		अनुभव
						अंग्रेजी	हिन्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मो0 सादीर आलम	मो0 समीर उद्दीन	581	64.55	प्रथम	DCA 6 माह प्राइवेट संस्था द्वारा	35 शब्द/ मिनट	25 शब्द/ मिनट	3 महीने का डाटा इन्ट्री के अनुभव का सर्टिफिकेट प्राइवेट संस्था द्वारा
किशोर कुणाल	श्री दीपनारायण	595	66.1	प्रथम	BCA	शून्य	शुन्य	3 महीने का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरलीगंज में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव

545 24

रामानन्द मल्लिक	प्रकाश कुमार मल्लिक	614	68.2	प्रथम	DCA एक साल का कोर्स	45 शब्द/ मिनट	35 शब्द/ मिनट	चुनाव कार्य हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव
चन्द्रशील भारती	चन्द्रेश्वर प्र0 भारती	590	65.55	प्रथम	DIT 6 माह एवं DCA राजकीय पॉलिटेकनिक सहरसा द्वारा	45 शब्द/ मिनट	35 शब्द/ मिनट	3 महीने का डाटा इन्ट्री के अनुभव का सर्टिफिकेट प्राइवेट संस्था द्वारा

4. उपरोक्त में उच्चतर योग्यताधारी भी थे परन्तु मो0 सादीर आलम का चयन किया गया। चयन हेतु आधार स्पष्ट नहीं किया गया।
5. उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया गया।
6. आवेदन/विज्ञापन हेतु अधिक समय देना चाहिए था। इस संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन इस कार्यलय के पत्रांक-894, दिनांक-17.10.11 द्वारा भेजा जा चुका है।

इसके अलावे श्रीमति मनीषा कुमारी के आवेदन दिनांक- 09.11.2011 की जाँच अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबन्धन से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है एवं इस वाद में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु श्री लखीन्द्र पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

[signature] 19/11/

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

25

समाहरणालय मधेपुरा
(जिला विकास शाखा)
पत्रांक 345 /वि0
(छपत्र)

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता(सहाय्य),
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 16/08/2011

विषयः- आई0एच0एस0डी0पी0 योजना अंतर्गत 319 गरीब व्यक्तियों के लिए मकान निर्माण में हो रही धाँधली, अनियमितता तथा लूट खसोट के कारण जाँच कर रोक लगाने एवं दोषी व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री धीरेन्द्र कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0-02 मधेपुरा एवं अन्य वार्ड पार्षदगण से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है। परिवाद पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जाँच हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आपको प्राधिकृत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं की स्वंय समेकित जाँच कर अविलंब तत्संबंधी प्रतिवेदन समंतव्य जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के अवलोकनार्थ समर्पित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त

विश्वासभाजन

16/8/11

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

19.08.11
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा
07/08/11

Annexure-4

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

(26)

प ट ना

वाद संख्या–109 / 2011

मनीषा कुमारी

बनाम

विजय कुमार, श्रीमती ममता कुमारी, श्रीमती बीबी सकीना व श्रीमती केन्दुला देवी

आदेश

22.11.2012 नगर निकायों के निर्वाचन एवं अन्य सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के कारण इस आदेश को पारित करने में विलम्ब हुआ है, अतः अब इस आदेश को पारित किया जा रहा है।

2. श्रीमती मनीषा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–09, नगर परिषद, मधेपुरा, पिन–852113 द्वारा आयोग में दिनांक 19.09.2011 को परिवाद पत्र दायर कर सूचित किया गया है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत नगर परिषद, मधेपुरा के मुख्य पार्षद, श्री विजय कुमार, उप मुख्य पार्षद, श्रीमती ममता कुमारी, पार्षद, श्रीमती बीबी सकीना एवं पार्षद, श्रीमती केन्दुला देवी जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं, के द्वारा वार्ड पार्षद, श्रीमती बीबी सकीना के पुत्र मो. सादीर आलम को अवैध रूप से मधेपुरा नगर परिषद में 2–3 वर्ष पूर्व ही नियुक्त कर लिया गया है। इस प्रकार इनके विरुद्ध पद/शक्ति का दुरुपयोग का आरोप है। वादी श्रीमती मनीषा कुमारी का कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (नगरपालिका) की धारा 18 (1) (ठ) एवं 18 (2) के तहत श्री विजय कुमार, श्रीमती ममता कुमारी, श्रीमती बीबी सकीना एवं श्रीमती केन्दुला देवी उपर्युक्त पद धारण करने हेतु अनर्हित हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन नगरपालिका का कार्यकाल जून, 2012 में समाप्त हो चुका है, अतः उक्त पार्षदों को तत्कालीन पार्षद समझा जाएगा।

3. सभी सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई की सूचना दी गई एवं विद्वान जिला पदाधिकारी– सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा को सभी आवश्यक कागजातों एवं दस्तावेजों के साथ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर आयोग में सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा

द्वारा अपने पत्रांक 894 दिनांक 17.10.2011 से जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजा गया है, जिसकी प्रतियाँ उभयपक्षों को उपलब्ध कराई गई। विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.11.2008 को हुई थी, जिसमें श्रीमती बीबी सकीना, पार्षद, वार्ड संख्या–5, नगर परिषद, मधेपुरा के पुत्र श्री मो. सादीर आलम की नियुक्ति की गई। श्रीमती बीबी सकीना, पार्षद, वार्ड संख्या–5 को उक्त बैठक में इसे उजागर करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। चयन में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। जाँच प्रतिवेदन के साथ दिनांक 11.11.2008 को हुई बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति भी संलग्न कर प्रेषित की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस बैठक में सशक्त स्थायी समिति के पाँच सदस्य उपस्थित थे।

5. परिवादकर्ता श्रीमती मनीषा कुमारी द्वारा पुनः एक परिवाद पत्र दिनांक 17.10.2011 को समर्पित किया गया, जिसमें वार्ड संख्या–24, 26 एवं 25 के वार्ड पार्षद क्रमशः (1) श्री विजय कुमार, मुख्य पार्षद, (2) श्रीमती ममता कुमारी, उप मुख्य पार्षद एवं (3) श्रीमती केन्दुला देवी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद की बोर्ड की बैठक में आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत 319 गरीब व्यक्तियों के सरकारी पक्का मकान का डी.पी. आर. एवं लाभुकों की सूची जो दिनांक 16.04.09 को बना है, का अनुमोदन कराए बिना सरकार को अंधेरे में रखकर एवं गुमराह करके आवंटन लेकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया है। 319 गरीब व्यक्तियों की सूची में 67 व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का बताकर सरकारी राशि से मकान निर्माण किया जा रहा है, जबकि ये लोग अन्य पिछड़ी या सामान्य जाति के हैं। लाभुकों की सूची में घोर अनियमितता एवं घोटाला करने का आरोप भी लगाया गया है। इसकी प्रति सभी सम्बद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई। इन आरोपों के सम्बन्ध में विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजने का अनुरोध भी किया गया।

6. परिवादकर्ता श्रीमती मनीषा कुमारी द्वारा दिनांक 09.11.2011 को पूरक लिखित बयान दाखिल किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बीबी सकीना के पुत्र मो. सादीर आलम को मधेपुरा नगर परिषद में संविदा के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अवैध रूप से नियुक्ति की गई है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 53 एवं 54 का घोर उल्लंघन किया गया है। इसकी प्रति सभी सम्बद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई।

7. विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 77 दिनांक 19.01.2012 से जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजा गया, जिसकी प्रतियाँ उभयपक्षों को उपलब्ध कराई गई। विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा का जाँच प्रतिवेदन, आयोग द्वारा की गई समीक्षा और दी गई टिप्पणियाँ निम्नवत् हैः

I. कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए दिनांक 09.08.2008 को "दैनिक जागरण" में एवं दिनांक 10.08.2008 को "आज" में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

II. इस पद के लिए योग्यता इन्टर तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित निर्धारित किया गया।

III. दिनांक 11.11.2008 को सशक्त स्थाई समिति की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस पद हेतु कुल 33 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुछ योग्यताधारी स्नातक भी थे। इन्टर प्रथम श्रेणी प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है, जिसका अनुभव पूर्व में कार्य करने का हैः

आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	इन्टर प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	कम्प्यूटर योग्यता	टाईपिंग		अनुभव
						अंग्रेजी	हिन्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मो. सादीर आलम	मो. समीर उद्दीन	581	64.55	प्रथम	DCA 6 माह प्राइवेट संस्था द्वारा	35 शब्द / मिनट	25 शब्द / मिनट	3 महीने का डाटा इन्ट्री के अनुभव का सर्टिफिकेट प्राइवेट संस्था द्वारा
किशोर कुणाल	श्री दीपनारायण	595	66.1	प्रथम	BCA	शून्य	शून्य	3 महीने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरलीगंज में कम्प्यूटर के कार्य का अनुभव

D/: Sec court 200

रामानन्द मल्लिक	प्रकाश कुमार मल्लिक	614	68.2	प्रथम	DCA एक साल का कोर्स	45 शब्द / मिनट	35 शब्द / मिनट	चुनाव कार्य हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव
चन्द्रशील भारती	चन्द्रेश्वर प्र. भारती	590	65.55	प्रथम	DIT 6 माह एवं DCA राजकीय पॉलटेकनिक सहरसा द्वारा	45 शब्द / मिनट	35 शब्द / मिनट	3 महीने का डाटा इन्ट्री के अनुभव का सर्टिफिकेट प्राइवेट संस्था द्वारा

IV . उपरोक्त में उच्चतर योग्यताधारी भी थे परन्तु मो. सादीर आलम का चयन किया गया। चयन हेतु आधार स्पष्ट नहीं किया गया।

V . उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया गया।

VI . आवेदन / विज्ञापन हेतु अधिक समय देना चाहिए था।

8. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के प्रतिवेदन के साथ श्रीमती मनीषा कुमारी के आवेदन दिनांक 09.11.2011 के सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबन्धन, मधेपुरा द्वारा अपने पत्रांक 09–2 दिनांक 18.01.2012 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर आयोग को भेजा गया है।

विद्वान अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबन्धन, मधेपुरा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वार्ड सं. 24, 25 एवं 26 में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरती गई है।

आयोग उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत है, और यह मानता है कि इस नियुक्ति में आपराधिक षड्यंत्र कर वार्ड सदस्य श्रीमती बीबी सकीना के पुत्र को गैर कानूनी ढंग से लाभ पहुँचाया गया, जिसके लिए श्रीमती बीबी सकीना और अन्य वार्ड पार्षदों, जो चयन

समिति के सदस्य थे, पर अयोग्यता निर्धारण सम्बन्धी कार्रवाई के अतिरिक्त मो. सादीर आलम सहित सभी दोषियों पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराए जाने की आयोग अनुशंसा करता है।

9. योजनाओं के चयन एवं योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में विद्वान अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबन्धन, मधेपुरा के जाँच प्रतिवेदन एवं उसके आधार पर निष्कर्ष निम्नवत् है:

1. आई.एच.एस.डी.पी. योजना का मुख्य उद्देश्य गन्दे, मलिन (Slum) क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बेसिक आधारभूत संरचना की सुविधा देकर ऐसे क्षेत्र के रहने वाले लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एवं एप्रोच कलस्टर में देकर अच्छे वातावरण का निर्माण कराना, ताकि आधुनिक ढंग से उपरोक्त सुविधा का लाभ देकर उनके जीवन का सर्वांगीण विकास कराना है। स्लम एरिया के परिभाषा में निम्न बातें आती हैं:

"कम से कम 20 ऐसे बदहाल ढंग से बने मुख्य रूप से अस्थायी मकानों का घना अस्वच्छता पूर्ण क्षेत्र जहाँ अधोसंरचना का अपर्याप्त विकास हो और पेयजल, शौचालय तथा गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न हो।"

(क) मलिन बस्ती के घर के मानदण्ड निम्न हैं:

(i) घर की छत कंक्रीट के बजाय किसी अन्य सामग्री से बनी हो। कंक्रीट में आर.बी.सी और आर.सी.सी सम्मिलित हैं।

(ii) अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण आसपास का वातावरण अस्वच्छतापूर्ण हो जैसे:

- घर के अन्दर पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं हो।
- घर के अन्दर अथवा उचित दूरी पर शौचालय की व्यवस्था न हो।
- घर के गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था न हो।

(ख) गन्दी बस्ती की अन्य विशेषताएँ:

- घरों का बहुत ज्यादा घनत्व एवं ज्यादातर छोटे–छोटे घर/प्लाट, घरों में कई–कई लोग, एक–एक कमरे के घर, दो या उससे ज्यादा परिवारों का एक साथ रहना।

पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति को अनु. जाति दर्शाया गया हे, जो नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत नहीं है एवं एक आपराधिक कृत्य है। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि कुछ सरकारी सेवानिवृत एवं कुछ एक ही परिवार के कई सदस्यों को अलग–अलग दिखाकर आवास योजना से लाभान्वित कराया गया है, जैसे वार्ड सं.–26 के क्रमांक–07, 59, 62, 78, 81, 84, 99, 100, 101, 102, 56, 57 एवं 58 आदि एक ही परिवार के सदस्य हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने एक केवला से कई तिथियों को शामलात भूमि क्रय की है, जबकि वास्तविक लाभ लेने के लिए इन्हें अलग–अलग परिवार का दर्शाया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विपरित है एवं आपराधिक षड्यंत्र के अन्तर्गत आता है।

(IV) आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत यदि लाभुकों के चयन का डी.पी. आर. बनाने हेतु हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा कराया गया था और जो लाभार्थियों की सूची नगर परिषद, मधेपुरा को उपलब्ध कराई गई थी, की जाँच तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार भारती द्वारा छानबीन की जानी चाहिए थी, परन्तु जाँच के क्रम में पूछताछ के दौरान उनके कार्यालय द्वारा बताया गया कि जो सूची दी गई, उसी पर पार्षदों का अनुमोदन लिया गया, जो जाँच के क्रम में न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। लाभार्थियों के लिए वार्ड का जो चयन किया गया, उसके मापदण्ड के सम्बन्ध में भी कार्यालय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी श्री भारती भी इस आपराधिक षड्यंत्र के सक्रिय भागी बन जाते हैं। उनके विरुद्ध भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा आयोग द्वारा की जाती है।

(V) निविदा के संदर्भ में नगर परिषद, मधेपुरा के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा पूछताछ की गई, तो यह बताया गया कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के उपक्रम द्वारा कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं भेजी गई और इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास के लिए जो भी योजना क्षेत्र विशेष के लिए चलाई जाती है, उसकी सूचना प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना तथा सम्बन्धित नगर निकाय, जो इस मामले में नगर परिषद, मधेपुरा है, को भी दी जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में जो भी कागजात पूर्व में रहे

अनियमितता से सम्बन्धित शिकायत यथा–मुख्य पार्षद के सगे सम्बन्धी धनाढ्य तथा अन्य वार्डों के संदर्भ में आपत्ति प्राप्त हुई थी, तो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्त्व बनता था कि सूची/अन्य वार्डों, जो स्लम एरिया जैसा है, के संदर्भ में स्वयं जाँच की कार्रवाई करें। परन्तु, इनके द्वारा भी ऐसा नहीं किया गया।

आयोग दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करता है।

(IX) (a) बहुत सारे लाभार्थी, जो पिछड़े, अत्यन्त पिछड़ी जाति के हैं, को अनुसूचित जाति दर्शाकर इस योजना का लाभ दिया गया है, जो अनुसूचित जाति का हकमारी का द्योतक है। यह मामला अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम के तहत प्रताड़ना का बनता है।

(b) अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत भी दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की अनुशंसा आयोग द्वारा की जा रही है।

(X) किसी भी विकास योजना के लाभार्थियों के चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु निर्णायक मंडल अर्थात् बोर्ड की भूमिका एवं दायित्त्व अंतिम होता है। परन्तु, लाभार्थियों पर निर्णय लेने के क्रम में बोर्ड की भूमिका संदिग्ध, पक्षपातपूर्ण तथा लाभ की भावना से निर्णय लेने की पाई गई है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी भूमिका हास्यास्पद है। अतः इसके लिए बोर्ड के सदस्यों पर भी अपेक्षित कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

आयोग के स्तर पर वार्ड सदस्यों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अतिरिक्त आयोग की अनुशंसा है कि सभी दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाय। और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(XI) बहुत सारे ऐसे लाभार्थी का नाम चयनित किया गया, जिनका घर स्लम क्षेत्र के मापदण्ड में नहीं है, तथा अच्छे पक्के के घर रहने वाले सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी, धनाढ्य व्यक्तियों मुख्य पार्षद के सगे सम्बन्धी को दी गई है।

उपरोक्त (X) की अनुशंसित कार्रवाई इस विषय में भी की जाय।

(XII) मार्गदर्शिका में दी गई आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत 25 वर्ग मीटर अन्तर्गत दो रूम, किचेन एव शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है, परन्तु स्थल जाँच के क्रम में 19 वर्ग फीट में निर्माण कराया गया है, जो मार्गदर्शिका के विपरीत है।

उपरोक्त (X) की अनुशंसित कार्रवाई इस विषय में भी की जाय।

10. प्रतिवादी की ओर से दिनांक 23.04.2012 को लिखित बहस दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया है कि परिवादकर्ता द्वारा सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों, जिसमें श्री विजय कुमार, मुख्य पार्षद एवं श्रीमती ममता कुमारी, उप मुख्य पार्षद भी हैं, के विरुद्ध लगाए गए आरोप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 18 (1) (ठ) अन्तर्गत नहीं आता है, अपितु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 25 (5) अन्तर्गत आते हैं, अतः प्रतिवादियों के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 18 (1) (ठ) अन्तर्गत आयोग में वाद चलाने योग्य नहीं है।

आयोग इससे सहमत है और नगर विकास विभाग को अनुशंसा करता है कि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध आवश्यक जाँचोपरान्त समुचित कार्रवाई करे। लेकिन, वार्ड सदस्यों के विरुद्ध उन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई करने में आयोग के स्तर पर कोई कठिनाई नहीं है।

11. अभिलेख में उपलब्ध कागजातों/दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा के पत्रांक 894 दिनांक 17.10.2011 एवं पत्रांक 77 दिनांक 19.01.2012 सह पठित अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा के पत्र सं. 09–2 दिनांक 18.01.2012 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी श्रीमती बीबी सकीना के पुत्र श्री मो. सादीर आलम की अनियमित नियुक्ति की गई है। प्रतिवादी श्रीमती बीबी सकीना को दिनांक 11.11.2008 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इसे उजागर करना चाहिए था एवं तत्पश्चात् बैठक से बाहर चले जाना चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। अन्य तीन प्रतिवादियों श्री विजय कुमार, श्रीमती ममता कुमारी एवं श्रीमती केन्दुला देवी द्वारा आई.एच.एस.डी.पी. योजना अन्तर्गत लाभुकों के चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए आपराधिक षड्यंत्र के तहत सरकारी राशि का दुरुपयोग

किया गया, अतः इन सबके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा आयोग करता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि इस वाद के चारों प्रतिवादियों द्वारा अपने पद/शक्ति का दुरुपयोग किया गया है।

12. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि प्रतिवादियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 18 (1) (ठ) अन्तर्गत नहीं वरन् धारा 25 (5) अन्तर्गत आएगा। किन्तु, जैसा पूर्व में जिक्र किया जा चुका है, यह साबित होता है कि इस वाद के प्रतिवादियों द्वारा सामूहिक रूप से उनमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है, जिसमें अन्य पार्षदों के अलावा मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद तथा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं। मुख्य पार्षद श्री विजय कुमार वार्ड संख्या–24 के पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद श्रीमती ममता कुमारी वार्ड संख्या–26 के पार्षद हैं एवं इन्होंने भी अपने–अपने वार्डों में पार्षद के रूप में लाभान्वितों के चयन में आपराधिक षड्यंत्र किया है तथा निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मो. सादीर आलम की अनियमित नियुक्ति में भी इनकी स्वीकृति है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को अयोग्य घोषित करने हेतु राज्य सरकार अधिनियम अन्तर्गत प्राधिकृत है, अतः श्री विजय कुमार, मुख्य पार्षद, श्रीमती ममता कुमारी, उप मुख्य पार्षद पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुशंसा भेजी जाय।

नगर विकास विभाग को यह भी अनुशंसा की जाए कि इस वाद में परिवादकर्ता द्वारा उठाए गए बिन्दु एवं लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया एवं जाँचोपरान्त सही पाए गए हैं। अयोग्यता के बिन्दु पर आयोग के स्तर पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त नगर विकास विभाग नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा आरोप अन्तर्गत योजनाओं और नियुक्तियों की समीक्षा करे और अनियमित नियुक्ति हेतु श्रीमती बीबी सकीना पर अन्य आवश्यक कार्रवाई भी करे और उनके पुत्र को अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए उनको दिए गए वेतन के समतुल्य राशि समिति के सदस्यों एवं कार्यपालक पदाधिकारी से वसूल करे।

श्रीमती बीबी सकीना एवं श्रीमती केन्दुला देवी पर निहित शक्तियों के दुरुपयोग का मामला साबित होता है। अतः इन्होंने नगरपालिका के पार्षद के पद धारण करने या इस पद पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता अर्जित कर ली है, इसलिए, इन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) अन्तर्गत भविष्य में किसी भी पद के निर्वाचन में भाग लेने या पद ग्रहण करने/बने रहने हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है।

13. यह वाद दिनांक 27.09.2011 को प्रारम्भ किया गया और उस समय कार्यरत नगरपालिका की अवधि जून, 2012 में समाप्त हो गई है। विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा प्रतिवेदन देंगे कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 में प्रतिवादी श्रीमती बीबी सकीना एवं श्रीमती केन्दुला देवी, पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचित हुई हैं या नहीं। विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग पुनः अग्रेत्तर कार्रवाई करेगा।

14. विद्वान जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी पर जाँच में पाए गए आरोपों के सम्बन्ध में ऊपर विभिन्न पैरा में दिए गए निदेशों के अतिरिक्त उनके प्रशासी विभाग को प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु भी अनुशंसा भेजेंगे।

15. सभी सम्बन्धित को सूचित करें।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(एच. सी. सिरोही)
22.11.2012
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(एच. सी. सिरोही)
22.11.2012
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–जिला दण्डाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– 5103 पटना, दिनांक– 26.11.12

प्रतिलिपि- वादी, श्रीमती मनीषा कुमारी, तत्कालीन पार्षद, वार्ड सं.–09, नगर परिषद, मधेपुरा, पिन–852113/प्रतिवादी, श्री विजय कुमार, तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा/श्रीमती ममता कुमारी, तत्कालीन उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा/श्रीमती बीबी सकीना, तत्कालीन पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा/श्रीमती केन्दुला देवी, तत्कालीन पार्षद, नगर परिषद, मधेपुरा, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

26.11.12

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना।

प्रसंग :- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का वाद सं0 109/2011 में पारित आदेश।

विषय :- **मधेपुरा नगर परिषद् के मुख्य पार्षद् विजय कुमार एवं तात्कालीन उप मुख्य पार्षद ममता कुमारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25(5) के अन्तर्गत अयोग्य घोषित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि प्रसंगाधीन वाद में पारित आदेश में मधेपुरा नगर परिष्द् के मुख्य पार्षद विजय कुमार एवं उप- मुख्य पार्षद ममता कुमारी को पद व निहित शक्ति का दुरुपयोग का दोषी पाया गया है उक्त दोनों को धारा - 25(5) के अन्तर्गत अपने पद से अयोग्य घोषित करने हेतु सक्षम प्राधिकार श्रीमान ही हैं। प्रसंगाधीन वाद में पारित आदेश में उक्त दोनों को पद से अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई है। आयोग के आदेश की छायाप्रति साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 25(5) के अन्तर्गत वर्त्तमान मुख्य पार्षद विजय कुमार एवं तात्कालीन उपमुख्य पार्षद ममता कुमारी नगर परिषद मधेपुरा को क्रमशः मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद पद के अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- वाद सं0 - 109/2011 के आयोग के आदेश की छायाप्रति।

भवदीय, सभी वार्ड पार्षद नगर परिषद मधेपुरा

(1) [illegible]
(2) Vishal [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]
5 [illegible]
(6) Kumari [illegible] - 05
(7) कमला देवी
(8) रतन देवी - 7
(9) शाहेला कौशर
(10) रश्मा प्रवीण - 1[illegible]
(12) [illegible] - 13
(13) दीपक कुमार - 19
(14) आशा [illegible] - 17

दिनांक 12-12-12

होंगे, उन्हें कार्यालय द्वारा गायब कर दिया गया होगा। यह कैसे सम्भव है, जबकि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को उनके पत्रांक 658 दिनांक 08.08.2011 द्वारा प्रेषित पत्र में चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित की गई है, जिसमें सम्बन्धित वार्ड आयुक्तों द्वारा अपने–अपने वार्डों में इस योजना से लाभान्वित करने का अनुरोध नगर परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 31.10.2007 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में 92 व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने, 2008 प्रलयकारी बाढ़ प्रभावित शहरों के DPR निर्माण के समय जल्दबाजी में कम्प्यूटर ऑपरेटर की लिपिकीय भूल के कारण पिछड़ी जाति के सदस्यों को भी अनु. जाति में प्रिंट करना तथा मधेपुरा, नगर परिषद को राशि का आवंटन प्राप्त नहीं होना आदि का उल्लेख करना इस बात का द्योतक है कि नगर परिषद को इस योजना के संदर्भ में अच्छी जानकारी है। परन्तु जाँच के समय अधिकारी/कर्मी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना आदि बातें कहना संदेह की पुष्टि करता है।

आयोग इसे आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में किया गया कार्य मानता है, क्योंकि जब योजना लागू करने की नियमावली ही पर्षद को उपलब्ध नहीं थी, तो किन परिस्थितियों में पर्षद और कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे स्वेच्छाचारी तरीके से लागू किया? अतः आयोग के स्तर पर पार्षदों की अयोग्यता निर्धारण के बिन्दु पर किए जाने वाले विचार के अतिरिक्त भी सभी दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा करने और दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा करता है।

(VI) मधेपुरा, नगर परिषद अन्तर्गत मलिन बस्ती एवं मलिन बस्ती जैसे क्षेत्र वार्ड सं.–24, 25 एवं 26 को ही मलिन बस्ती के रूप में चिह्नित किया गया, इसके मापदंड का आधार क्या है?

(VII) इन तीनों वार्डों के अलावा अन्य कितनी मलिन (Slum) बस्तियाँ हैं, उनकी सूची नगर परिषद के कर्मी द्वारा नहीं बताई गई।

(VIII) वार्ड सं.–25 में जो घर आवंटित किए गए हैं वह मलिन बस्ती हेतु की गई परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। इस बस्ती का चयन पक्षपातपूर्ण था एवं नियमों के विरुद्ध था। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार भारती द्वारा भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया गया। यदि लाभार्थी के चयन में

- बस्ती में अपर्याप्त अधोसंरचना की उपलब्धता–जैसे स्ट्रीट लाईट, वर्षा के पानी की निकासी, कूड़े का निस्तारण, सैंकरी एवं कच्ची गलियाँ और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुँच से बाहर होना।

इसी भावना से प्रेरित होकर इस योजना का क्रियान्वयन जिला परिषद क्षेत्र के शहरी क्षेत्र, वार्ड सं.–24, 25 में की गई है। वार्ड नं.–24 के अन्तर्गत 113, वार्ड नं.–25 में 83 एवं वार्ड नं.–26 में 105 लाभार्थियों को इस प्रकार कुल 319 लाभार्थियों को आवास निर्माण प्रारम्भ करवाया बताया गया है।

2. उक्त वार्डों की स्थल जाँच से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित हुआ है कि:

(I) वार्ड सं. 24 के लिए लाभार्थियों का जो चयन किया गया वह सही मायने में स्लम क्षेत्र देखने में लगा और कुछ लाभार्थियों को छोड़कर चयनित लाभार्थी सही प्रतीत हुए। परन्तु कुछ और भी निर्धन असहाय एवं मलिन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इस योजना से वंचित रहे।

(II) वार्ड सं.–25 के पुलकित नगर मुख्य पार्षद, श्री विजय कुमार के पिता के नाम पर अवस्थित है। जाँच के क्रम में यह पाया गया कि वार्ड नं.–25 के चयनित सूचि के लाभार्थियों की जो भूमि है, जिसपर आवास निर्माण कराया जा रहा है, वह मुख्य सड़क से कालीकरण पथ से जुड़ी हुई है। यह ग्रामीण परिवेश जैसा अवश्य दिखता है, परन्तु उसे स्लम क्षेत्र नहीं माना जा सकता है, फिर भी ऐसे क्षेत्र को इस योजना से आच्छादित किया गया है, जो इस योजना की मूल भावना के प्रतिकूल है।

आयोग का मन्तव्य है कि इस प्रकार श्री विजय कुमार, मुख्य पार्षद एवं योजना अनुमोदन में भाग लेने वाले अन्य पार्षदों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिसके लिए नगर विकास विभाग को उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु लिखा जाय।

(III) वार्ड सं.–26 में बहुत सारे धनाढ्य व्यक्तियों को भी इस योजना से आच्छादित किया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि सूची निर्माण में लाभार्थियों के चयन में पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शाया गया है। कई ऐसे लाभार्थी हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, परन्तु उन्हें अनु. जाति दर्शाकर जालसाजी की गई है। यह माना जा सकता है कि कुछ जगह लिपिकीय भूल हो सकती है। परन्तु कई जगह